ADHES

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया

पत्रांक—694 गया, दिनांक—10/09/2016

कोटेशन आमंत्रण सूचना

गया जिला अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया में वित्तीय वर्ष 2016—2017 के लिए विश्व बैंक सम्पोषित योजना सी0ओ0ई0 अन्तर्गत हॉस्पीटिलिटी सेक्टर के अन्तर्गत चैल रहे विभिन्न मॉडयूल एवं उत्क्रमित व्यवसायों के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु पाठक्रमों अनुरूप संस्थान स्तर पर विभिन्न प्रकार के मशीन, टूल्स, उपकरण एवं कच्चा माल के क्रय हेतु बिहार राज्य के बिक्री कर के अन्तर्गत निबंधित एवं अधिकृत प्रतिष्ठानों/निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से द्विलिफाफा पद्धति के माध्यम से मदवार एवं पैकेजवार मुहरबंद कोटेशन आमंत्रण की जाती है। कोटेशन दिनांक—26.09.2016 को अपराह्न 5 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जाएगा। विलंब से प्राप्त कोई कोटेशन स्वीकार नही किया जाएगा एवं ना ही इसके संबंध में कोई पत्राचार किया जायेगा। हाथों—हाथ कोटेशन नहीं स्वीकार की जाएगी। कोटेशन दिनांक—27.09.2016 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में क्रय समिति सदस्यों के समक्ष अपराह्न 2 बजे खोली जाएगी। कोटेशन खोलने के समय कोटेशन दाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं कोटेशन की शर्तें एवं सामानों की सूची विभाग के वेबसाइट www.labour.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

कोटेशन की शर्तेः—

1. कोटेशन दाता को कोटेशन के साथ अग्रधन के रूप में रूपये 10,000/— (दस हजार) मात्र क बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य औ0प्र0सं0, गया के पदनाम से गया में भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य है। विभिन्न पैकेज में अंकित सभी सामान वांछित अददों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर अग्रधन की राशि जब्त कर सरकारी खजाने में चालान के द्वारा जमा कर दी जाएगी।
2. कोटेशन दो प्रतियों में (क) तकनीकी कोटेशन (ख) वित्तीय कोटेशन अलग—अलग लिफाफे में मुहरबंद कर एवं दोनों कोटेशन को एक बड़े तीसरे लिफाफे में मुहरबंद कर समर्पित करना अनिवार्य होगा तकनिकी कोटेशन/वित्तीय कोटेशन के मुहरबंद लिफाफा के उपर भी किस प्रकार का कोटेशन है, स्पष्ट एवं बोल्ड अक्षर में लिखा रहना अनिवार्य है। तकनिकी कोटेशन स्वीकृति उपरांत ही वित्तीय कोटेशन खोली जाएगी। जिन कोटेशन दाताओं की तकनिकी कोटेशन अस्वीकृत हो जाएगी उसका वित्तीय कोटेशन नही खोला जाएगा।
3. प्रत्येक पैकेज एक अलग—अलग कोटेशन है। कोटेशन पैकेजवार एवं क्रमानुसार E-5 प्रपत्र में अलग—अलग जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित पैकेज पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. तकनिकी कोटेशन के साथ बैंक ड्राफ्ट, बिहार बिक्रीकर निबंधन प्रमाण पत्र (C-1) आयकर एवं बिक्रीकर प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
5. तकनिकी कोटेशन के साथ सामानों को कैटलग, गारंटी/वारंटी प्रतिष्ठानों काली सूची में दर्ज नही है एवं किसी भी प्रकार का मामला न्यायालय में विचाराधीन नही है, से संबंधित पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। मशीन, टूल्स, उपकरण की वारंटी आपूर्ति/अधिस्थापन की तिथि से 12 माह तक होना अनिवार्य है। इससे संबंधित पैकेजवार E-5 प्रपत्र में कोटेशनदाता द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
6. तकनिकी कोटेशन के साथ आयकर पैन नम्बर एवं आयकर रिर्टन (FY-2015-2016) की स्व—अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
7. वित्तीय कोटेशन में बिक्रीकर एंव अन्य कर तथा सामग्रियों को संस्थान तक पहुंचाने का भाड़ा सम्मिलित रहेगा। किसी प्रकार का अन्य कर अलग से देय नही होगा।
8. वित्तीय कोटेशन में सामानों के नाम के सामने सामानों का मेक स्पष्ट होना आवश्यक है।
9. जिस कोटेशन दातों की कोटेशन स्वीकृत की जाएगी। उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अन्दर समानों की सूची के अनुसार संस्थान में पहुँचाना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर जी जाएगी।
10. सभी कोटेशन टंकित प्रति में ही स्वीकार की जाएगी। सामानों की दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग या संशोधन नहीं होना चाहिए।
11. पैकजवार अंकित प्रत्येक समानो का मूल्य/दर अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा संबंधित पैकेज/कोटेशन को रद्द समझा जाएगा, चूंकि न्यूनतम दर का निर्धारण पैकेज वार ही होगा।
12. किसी भी कोटेशन दाता को बिना कारण बताये कोटेशन को पूर्णतः/अंशतः अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य/क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
13. कोटेशन से संबंधित किसी प्रकार का विवाद का न्यायायिक क्षेत्र गया होगा।
14. कोटेशन स्वीकृत के उपरांत समाग्रियों की आपूर्ति/मशीन एवं टूल्स की स्थापना एवं गुणवत्ता की जाँच के उपरांत सही पाये जाने तथा कोटेशन में वांछित Specification के अनुसार मशीन, टूल्स, उपकरण, उपस्कर आदि के Installation & Commissioning आपूर्तिकर्त्ता द्वारा करने के उपरांत राशि की उपलब्धता के अनुसार 5 प्रतिशत Performance Security (प्रदर्शन प्रतिभूति) को काटकर भुगतान किया जायेगा। जिसके बाद में Performance के आधार पर भुगतान कर दिया जाएग। तकनिकी जाँच के क्रम में खराब पाये गए सामानों को वापस ले जाने की जिम्मेवारी संबंधित प्रतिष्ठान की होगी।
15. कोटेशन से संबंधित जानकारी एवं सामग्रियों की सूची विभागीय वेबसाइट—www.labour.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। कोटेशन की सामग्रियों की सूची कार्यालय में सभी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्राचार्य
औ0प्र0संस्थान,
गया।